# राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

| मुकदमा संख्या | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 07/24 | 08.02.24 | 17.01.25 |

**बउनवान**

1. किरोडीलाल पुत्र स्व. मांगीलाल निवासी ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील महवा दौसा।

..प्रार्थी

**बनाम**

1. प्यारेलाल पुत्र स्व. मांगीलाल, निवासी ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील महवा दौसा।
2. कमलचन्द पुत्र स्व. मांगीलाल, निवासी ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील महवा दौसा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजीयक अधिकारी मण्डावर दौसा।

...अप्रार्थीगण

**उपस्थित**

1. अभिभाषक प्रार्थी – अभिभाषक भुवनेश त्रिवेदी।

**प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत**
**धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**निर्णय**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया कि भूमि मुतदाविया ग्राम ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित खतौनी सं. नयी 31 पुरानी 28 के खसरा सं. 1891 रकबा 0.25 हेक्टे., 1892 रकबा 0.18 हैक्टे., 1893 रकबा 0.20 हैक्टे., 1894 रकबा 0.02 हेक्टे., 1895 रकबा 0.10 हैक्टे., 1896 रकबा 0.10 हैक्टे., 1897 रकबा 0.13 हैक्टे., 1898 रकबा 0.60 हैक्टे., 1899 रकबा 0.121 हैक्टे., 1925 रकबा 0.20 हैक्टे., 1940 रकबा 0.02 हैक्टे., 1941 रकबा 0.61 हैक्टे., 1943 रकबा 0.61 हैक्टे., 1944 रकबा 0.56 हैक्टे., 1945 रकबा 0.55 हैक्टे., 1958 रकबा 0.04 हेक्टे., 1959 रकबा 0.12 हेक्टे., 2047 रकबा 0.18 हैक्टे. कुल किता 19 कुल रकबा 4.60 हैक्टे. है। भूमि मुतदाविया में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 का समान 1/4, 1/4, 1/4 हक हिस्सा व अधिकार है। वर्तमान में भूमि की खातेदारी में प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 की मां नारायणी देवी का 1/5 हिस्सा दर्शित कर रखा है लेकिन नारायणी देवी का स्वर्गवास हो चुका है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने भूमि मुतदाविया को आपसी सहमति के आधार पर मौके पर बांट रखा है लेकिन भूमि मुतदाविया को बोते, फसल काटते समय व लगान जमा कराते समय पक्षकारों में आपस में विवाद हो जाता है तथा कोई भी पक्ष बिना एक दूसरे की सहमति के राज्य सरकार व भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली कृषि सहायता भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने प्रार्थी के विरूद्ध एक

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

ता

नाजायज संगठन बना रखा है और वे भूमि को तकास्मा करवाये बिना ही खुर्द–बुर्द करने की तैयारी में लगे हुये हैं तथा प्रार्थी को उनके हक हिस्से व अधिकार की भूमि से वंचित करने पर तुले हुये हैं। प्रार्थी ने अप्रार्थी से भूमि मुतदाविया का विधिवत तकास्मा के लिये कहा तो कहा कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 साफ इन्कार हो गये तथा ऐलानिया धमकी दी कि हम बिना तकास्मा ही भूमि मुतदाविया का बेचान करके प्रार्थी को उनके हक हिस्से, कब्जे काश्त व खातेदारी से बेदखल करके रहेगें। ऐसे में प्रार्थी, अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं कि अप्रार्थी, जब तक भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा न हो जावे, तक तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत, रहन वय, क्रेडिट कार्ड/ऋण आदि प्राप्त व राजस्व रिकोर्ड में किसी भी प्रकार की तब्दीली न करे एवं अप्रार्थी सं. 3. अप्रार्थी सं. 1 व 2 के द्वारा पेश किये जाने वाले किसी भी रहननामा बयनामा आदि को पंजीकृत करने से दवामितौर पर प्रतिबन्धित रहे। दिनांक 11.12.23 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 अपने कई मददगारों को साथ लेकर प्रार्थी के कब्जे काश्त हक व अधिकारों की भूमि पर आये तथा कहने लगे कि हम अब प्रार्थी को काश्त नहीं करने देगें तथा भूमि का बेचान करेंगे। प्रार्थी को उसकी भूमि की काश्त, जुताई बुवाई नहीं करने दे रहे हैं, फसलों में पानी नहीं देने दे रहे है। मौके पर भूमि बंजड पडी है चाहे मौका रिपोर्ट मंगवाली जावे। प्रार्थी की विवादित भूमि में डली पाटोलों को तोड दिया है व मौके पर प्रार्थी के बट में आयी भूमि में होकर भरत कर सडक बनाने पर आमादा हैं, इसलिये विवादित भूमि को रिसीवरी में लिया जाना आवश्यक है। यदि अप्रार्थी अपने नाजायज मकसद की पूर्ति में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को नुकसान अजीम नाकाबिले तायुन व तखमीना होना जिसकी क्षतिपूर्ति सम्भव नहीं हो सकेगी तथा गैर जरूरी किस्म के मुकदमात दरमियान फरीकेन चल पडेगें जो बाय से बर्बादी प्रार्थी होगें। इस कारण प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ है। विनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 11.12.23 को अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने आने से व तकास्मा कराने की इन्कारी करने से अन्दर हदूद न्यायालय हाजा पैदा हुयी है। प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वादपत्र इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा फरमावे कि भूमि मुतदाविया में वर्णित विवादित आराजी की मौका एवं रिकोर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। भूमि की रक्षा कराने के लिये भूमी को रिसीवरी में लेकर रिसीवर नियुक्त कर भूमि को कब्जेराज़ लेकर भूमि की रक्षा करें।

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

प्रार्थी अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुतिकरण के समय अप्रार्थीगण के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने के लिए बहस का निवेदन किया। प्रार्थी अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया जाकर अप्रार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 08.02.24 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की गयी कि अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक भूमि मुतदाविया के वर्तमान मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। नोटिस की तामील के बावजूद

अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर इनके जवाब का अवसर बन्द किया। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा तदनुसार प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का, एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया। अस्थायी व्यादेश जारी किये जाने बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 में प्रावधान है कि :

*212. व्यादेश के लिए और रिसीवर की नियुक्ति के लिए उपबंध – इस अधिनियम के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में यदि शपथ–पत्र द्वारा अथवा अन्यथा यह सिद्ध हो जाये कि –*

*(क) किसी सम्पत्ति का, जिससे ऐसा वाद वा कार्यवाही संबंधित है, उसके किसी पक्षकार द्वारा दुर्व्ययन करने, उसे नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने का खतरा है, या*

*(ख) ऐसे वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्यों को विफल करने के अनुक्रम में उक्त सम्पत्ति को हटाने अथवा व्ययन करने की धमकी देता है या ऐसा आशय रखता है।*

*तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो, रिसीवर नियुक्त कर सकेगा।*

*(2) कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन व्यादेश किया गया है अथवा जिसकी सम्पत्ति के बारे में रिसीवर नियुक्त किया गया है इतनी रकम की नकद प्रतिभूति दे सकता है जितनी, वाद या कार्यवाही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विनिश्चित होने की दशा में विरोधी पक्षकार को मुआवजा देने के लिए न्यायालय अवधारित करे, और ऐसी प्रतिभूति की रकम जमा किये जाने पर न्यायालय, यथास्थिति, व्यादेश या रिसीवर की नियुक्ति के आदेश को प्रत्याहृत कर सकेगा।*

प्रार्थना पत्र को निर्णीत किये जाने के लिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं को तय किया जाना है। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा में स्थित भूमि मुतदाविया प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 की सहखातेदारी आराजीयात है। इस प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध वाद पत्र खाता विभाजन तथा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया है। संयुक्त खातेदारी में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सह काश्तकार का समान हिस्सा होता है। प्रार्थी भूमि मुतदाविया का सह खातेदार है, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। वाद लम्बित रहने की प्रक्रिया के दौरान, अविभाजित भूमि मुतदाविया में यदि अप्रार्थीगण के द्वारा बिना विभाजन हुए भूमि के किसी हिस्से का बेचान किया जाता है तो इससे वाद बहुलता तथा मौके पर विवाद बढ़ना संभावित है। इस कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। भूमि मुतदाविया में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को उसकी भूमि की काश्त, जुताई बुवाई नहीं करने दी जाती है, फसलों में पानी नहीं देने दिया जाता है जिससे मौके पर प्रार्थी की भूमि बंजड पडी है। प्रार्थी की विवादित

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

भूमि में डली पाटोलों को तोड दिया है व मौके पर प्रार्थी के बट में आयी भूमि में होकर भरत कर अप्रार्थीगण सडक बनाने पर आमादा हैं। इस कारण प्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थी के द्वारा संलग्न दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा एक दावा बउनवान किरोड़ीलाल वगै. बनाम कमल वगै. माननीय सिविल न्यायाधीश महवा के न्यायालय में खसरा सं. 1925 ग्राम ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा बाबत विचाराधीन है। इसलिए खसरा सं. 1925 के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महवा के न्यायालय के निर्णय तक अस्थायी निषेधाज्ञा के विषय में कोई कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थी के द्वारा भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के कब्जे की भूमि को अप्रार्थीगण द्वारा क्षति से बचाने के लिए उक्त भूमि पर रिसीवर नियुक्त किये जाने के लिए निवेदन किया गया है किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तथा प्रकरण के तथ्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रावधान के अंतर्गत रिसीवर नियुक्त किये जाने के लिए अपर्याप्त है। इस लिये भूमि मुतदाविया के लिये रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित नहीं है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में है। इसलिए सम्बद्ध वाद लम्बित रहने की अवधि तक भूमि मुतदाविया (खसरा सं. 1925 को छोड़कर) को अप्रार्थीगण द्वारा दुर्व्ययन करने, नुकसान पहुंचाने या अन्य संक्रान्त किये जाने की स्थिति से बचाने के लिये, वाद बहुलता तथा मौके पर स्थिति में बदलाव से सम्भावित विवाद रोकने के लिए अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश जारी किया जाना उचित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

## आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाकर ग्राम ढेर की ढाणी पटवार हल्का बालाहेडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित भूमि मुतदाविया खसरा सं. 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945, 1958, 1959, 2047 कुल किता 17 कुल रकबा 4.39 हैक्टे. के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 08.02.24 को, प्रार्थना पत्र से सम्बद्ध मूल वाद के निर्णित होने तक, संपुष्ट **(Confirm)** किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी व्यादेश इस आशय का जारी किया जाता है कि अप्रार्थीगण, मूल वाद के निर्णित होने तक, भूमि मुतदाविया में प्रार्थी के कब्जे काश्त में जुताई बुवाई में दखल नहीं करे, फसल में पानी देने में बाधा कारित नहीं करे तथा भूमि मुतदाविया के मौके व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति को बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 17.01.25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज<br>फिरोडीलाल बनाम प्यारेलाल<br>मु.नं. 07/25 TE | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए |
|---|---|---|
| | 17.1.25<br>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी का प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर मूलवाद के साथ शामिल हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>मण्डावर (दौसा) | |